राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांकः एफ3/मु./याता./निरी./15/473 दिनांकः 03/09/15

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग, मुख्यालय जयपुर के आदेश क्रमांक मु./का./प्र.सु./2008/498 दिनांक 2.5.2008, 716 दिनांक 8.12.2010, 1039 दिनांक 12.9.2012 एंव पत्रांक 1875 दिनाक 23.7.2013 जारी कर मुख्य समय पालक एवं समय पालक शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को 6 माह में आवश्यक रूप से बदलने के आदेश दिये गये थे, परन्तु देखा जा रहा है कि उक्त आदेशों की अधिकतर मुख्य प्रबन्धकों के द्वारा पालना नहीं कर कर्मचारियों को नहीं बदला जा रहा है या कर्मचारी को एक बार बदलने पर पुनः छः माह पश्चात उसी कर्मचारी को पदस्थापित कर दिया जाता है या कर्मचारीयो का आगार आदेशों में तो परिवर्तन कर दिया है किन्तु सीट पर लगायें गये कार्मिक कार्यरत ना होकर अन्य कार्मिक/पूर्व कार्मिक ही कार्यरत होते है जो कि उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि समय पालक शाखा से हटाये गये कर्मचारियों द्वारा परिचालकों/चालकों के ड्यूटी चार्ट में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया जाता है।

अतः समस्त मुख्य प्रबन्धकों को उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन कर पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि मुख्य समय पालक एवं समय पालक शाखा (चालक/परिचालक समयपालक शाखा) में पदस्थापित कर्मचारियों को प्रत्येक 3 माह पश्चात अनिवार्य रूप से बदला जावे। बदली किये गये कर्मचारियों से मूल पद के अनुरूप कार्य लिया जावें एवं चालक/परिचालक समय शाखा में इन कर्मचारियों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष या किसी भी रूप से हस्तक्षेप नहीं हो, आगार आदेशों मे लगाये गये कार्मिक ही उक्त सीट पर कार्य करेगें तथा पूर्व में बदले गये कर्मचारियों को पुनः समय पालक शाखा में पदस्थापित नहीं किया जावे।

उक्त आदेशों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जावे। आदेश प्रसारित होने के पश्चात यदि आगार स्तर पर ऐसे प्रकरण निम्नहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आये तो उन समय पालकों का पदस्थापन/ स्थानान्तरण जिला क्षेत्र से बाहर किया जावेगा एवं सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। साथ ही उक्त आदेशों की पालना में प्रति तीन माह पश्चात मुख्य प्रबन्धक द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र मुख्यालय को भिजवाया जावे कि उनके द्वारा उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना की जा रही है।

(राजेश यादव)
अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः एफ3/मु./याता./निरी./15/473 दिनांकः 03/09/15

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
3. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राज.परिवहन निगम मु.जयपुर
4. समस्त विभागाध्यक्ष .... राज.परिवहन निगम मु.जयपुर
5. महा प्रबन्धक (यातायात) राज.परिवहन निगम
6. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (यातायात/संचालन)/समस्त यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक राज.परिवहन निगम CM (cst) आगार
7. आदेश पत्रावली

03/9/15

(राकेश राजोरिया)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)